सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

की

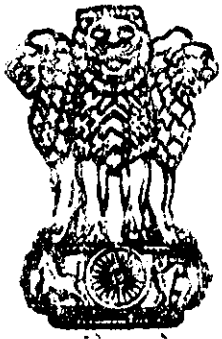

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 537

परिवहन विभाग से संबंधित सी०ए०जी० अंकेक्षण प्रतिवेदन [illegible] वर्ष 2005-[illegible], 2006-07 (4.3), 2009-10 (4.9) एवं 2010-11 [illegible] पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

~~109~~
117

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2013–14, 2012–13, 2011–12	क, ख, ग
2. लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन वर्ष 2013–14	घ
3. सभा सचिवालय / महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय एवं विभाग के पदाधिकारीगण।	ड़
4. प्राक्कथन	छ
5. प्रतिवेदन	1–18

वर्ष	कंडिका आपत्ति
2005–06 (रा०प्र०)	4.4
2006–07 (11)	4.3
2009–10 (11)	4.9
2010–11 (11)	3.5, 3.6, 3.7, 3.8

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2013–14 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1.	श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	डॉ० अच्युतानन्द	स०वि०स०
2.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
3.	श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
4.	श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
5.	श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
6.	श्री रत्नेश सादा	स०वि०स०
7.	श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
8.	श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
9.	डॉ० उषा विद्यार्थी	स०वि०स०
10.	श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
11.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	स०वि०स०
12.	श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
13.	श्री (मो०) हारूण रशीद	स०वि०प०
14.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद	स०वि०प०
15.	श्री रजनीश कुमार	स०वि०प०

"ख"

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

सदस्यगण

1. डॉ० अच्युतानन्द — स०वि०स०
2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव — स०वि०स०
3. श्री अशोक कुमार — स०वि०स०
4. श्री मंजीत कुमार सिंह — स०वि०स०
5. श्री अभिराम शर्मा — स०वि०स०
6. श्री अरूण शंकर प्रसाद — स०वि०स०
7. श्री विनोद नारायण झा — स०वि०स०
8. श्रीमती उषा सिन्हा — स०वि०स०
9. श्री कृष्णनन्दन यादव — स०वि०स०
10. श्री जावेद इकबाल अंसारी — स०वि०स०
11. श्री राणा गंगेश्वर सिंह — स०वि०स०
12. श्री नीरज कुमार — स०वि०प०
13. श्री (मो०) हारूण रशीद — स०वि०प०
14. श्री मंगल पाण्डेय — स०वि०प०

"ग"

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2011–12 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री राजेश सिंह	स०वि०स०
2. श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
3. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
4. श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5. श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
6. श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
7. श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी	स०वि०स०
8. श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
9. श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
10. श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
11. श्री मनोहर प्रसाद सिंह	स०वि०स०
12. श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स०वि०स०
13. श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
14. मो० हारूण रसीद	स०वि०प०
15. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०प०
16. श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०

"घ"

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप–समिति (3) का गठन वर्ष 2013–14

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०, सभापति

संयोजक

1. श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०, सयोजक

सदस्यगण

1. श्री रत्नेश सादा	स०वि०स०, सदस्य
2. श्री कृष्णनंदन यादव	स०वि०स०, सदस्य
3. श्री बैद्यनाथ प्रसाद	स०वि०प०, सदस्य

बिहार विधान–सभा सचिवालय

1. श्री फूल झा	प्रभारी सचिव
2. श्री हरेराम मुखिया	संयुक्त सचिव
3. श्री रूपनारायण मिश्र	उप–सचिव
4. श्री भूदेव राय	उप–सचिव
5. श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री उमाशंकर यादव	सहायक
8. श्री रंजय कुमार	सहायक
9. श्री राजीव रंजन–III	सहायक
10. श्री अरविन्द कुमार दास	सहायक
11. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	सहायक

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह	महा–लेखाकार
2. श्री परवेज आलम	उप–महालेखाकार
3. श्री इन्द्र कुमार	उप–महालेखाकार
4. श्री अशोक कुमार झा	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्री कुमार प्रशांत	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
6. श्री अरविन्द कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

1. श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
2. श्री अवधेश कुमार	विशेष कार्य पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से परिवहन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा–परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005–06, 2006–07, 2009–10 एवं 2010–11 की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 537 प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2014 की बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय एवं वित्त विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम देकर समिति को जो सहयोग दिया है, वह अविस्मरणीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने जो अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना:–
दिनांक: 30 जनवरी, 2014 (ई०)

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

प्रतिवेदन

सी

4

बि
खा
आ
नि
की
कर
मा
रा
कि
तीन
खगा
एवं
ली
दिन
आयु
खाते
इसे
2006
जाये

1.

पर

पंजा
में
अन्त
खात
की
चाल
2.
द्वारा
की
हस्ता
द्वारा
3.
प्रति
ससमय
जाता

दिनांक:
के सिर

सी०ए०जीके अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 (रा०प्रा०) पृ०सं० 29 पर द्रष्टव्य।

4.4 राजस्व का विलंब से हस्तान्तरण

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेनदेन को बिना विलम्ब किये खाते में लाया जाना है और राशि को सरकारी खाते में जमा करना है। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मार्च 1996 एवं सितम्बर 2002 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्गत अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक महीने में संग्रहित फीस एवं कर की राशि को अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक सरकारी खाते में जमा हेतु हस्तांतरित करना है। आगे मार्च महीने में जमा राशि को कोषागार चालान द्वारा उसी महीने की 31 मार्च तक सरकारी खाते में हस्तांतरित करना है। अक्टूबर 2002 एवं फरवरी 2003 में राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया था कि राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने को सुनिश्चित करें।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[7] के मासिक प्राप्ति रसीद, राजस्व विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी की संवीक्षा के दौरान जून 2005 में यह पाया गया कि जुलाई 2003 एवं अप्रैल 2005 के अवधि के मध्य प्राधिकृत बैंकों द्वारा फीस एवं कर के रूप मे जमा ली गई 25.61 करोड़ रुपये को विभागीय प्राधिकारी द्वारा एक महीने से सात महीने 22 दिन के विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किया गया था। इस हेतु राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न आदेश निर्गत किये गये थे फिर भी राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने हेतु कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत नहीं था।

इसे बतलाये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2005 एवं फरवरी 2006 में कहा कि राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। मामले सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किये गये उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

गोपालगंज, पटना एवं सीवान

विभागीय स्पष्टीकरण

1. **जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:–**
इस कंडिका में वसूली गई राशि विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किये जा पर आपत्ति उठाया गया है, जिसमें 42,40,648.00 रू० सूद दर्शाया गया है ।
जिला परिवहन कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा द्वारा प्रतिदिन वसूली गई राशि पंजाब नेशनल बैंक गांधी मैदान शाखा में जमा की जाती थी, एवं सरकारी खाते में अन्तरण हेतु ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाता था । सरकारी खाते में राशि अन्तरण में विलम्ब होने के फलस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक गांधी मैदान शाखा का खाता बंद कर इंडियन बैंक , बिस्कोमान भवन शाखा में वसूली गई राशि जमा की जा रही है एवं प्रत्येक माह में राशि सरकारी खाते में अन्तरण हेतु ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाता है।
2. **जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज:–** वर्तमान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में प्रत्येक माह में संग्रहीत फीस एवं कर की राशि को अगले माह के प्रथम सप्ताह में सरकारी कोषागार में चालान द्वारा हस्तांतरित जमा किया जाता है। माह मार्च में जमा राशि को कोषागार चालान के द्वारा 31 मार्च को ही हस्तांतरित कर दी जाती है।
3. **जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान:–** वर्तमान जिला परिवहन पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि वर्त्तमान में जिला परिवहन पदाधिकारी सिवान द्वारा अब ससमय संचित राशि का हस्तांतरण किया जाता है एवं इस पर पूरा नियंत्रण रखा जाता है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक:– 21 दिसम्बर, 12 की बैठक में समिति द्वारा "तय समय से राशि ड्रा करने के सिस्टम का विभाग पालन करे।" इस निदेश के साथ इस आपत्ति **को निष्पादित किया** गया।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–2007 (रा०प्रा०) पृ०स० 43–44 द्रष्टव्य।

4.3 मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथ माँग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड के रूप में लगाया जाना है।

1 पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार राज्य 1993(1) पी एल जे आर 211
2 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा
3 बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर

जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 के बीच 30 जिला परिवहन कार्यालयों[4] के करारोपण पंजी के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,198 परिवहन वाहन के मालिकों ने **यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2006 के बीच की अवधि से संबंधित 9.13 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई** कार्रवाई नहीं की थी। किसी भी मामले मे मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 9.13 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अलावे 200 प्रतिशत के दर पर 18.25 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाना था।

मामले इंगित किये जाने के बाद 26 जिला परिवहन पदाधिकारियों[5] ने जुलाई 2006 एव मार्च 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसपर तदन्तर नीलामवाद की कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों, खगड़िया एवं जहानाबाद ने नवम्बर 2006 में कहा कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी जमुई ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया ने दिसम्बर 2006 में कहा कि उत्तर बाद में दी जायेगी। हालाँकि दिया गया उत्तर, कर की वसूली हेतु वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई नही किये जाने के कारणों के बारे में खामोश था, जबकि इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं जून 2007 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 20 है जिसमें सन्निहित राशि 6291798.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 382431.00 रु0 है।
   (ख) 18 वाहनों पर निलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 5909367.00 रु0 है।

2. जिला परिवहन कार्यालय जमुई:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 430 है जिसमें सन्निहित राशि 12893127.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 99 वाहनों से वसूली गई राशि 1076554.00 रु0 है।
   (ख) 331 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया जिसकी राशि 11816573.00 रु0 है।

3. जिला परिवहन कार्यालय बेगूसराय:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 66 है जिसमें सन्निहित राशि 11157241.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 28 वाहनों से वसूली गई राशि 37,90,135.00 रु0 है।
   (ख) 37 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 73,21,935.00 रु0 है।
   (ग) 1 वाहन जिसमें दावा नही बनता है की राशि राशि 45,171.00 रु0 है ।

4. जिला परिवहन कार्यालय कैमूर (भभुआ):- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 28 है जिसमें सन्निहित राशि 7545819.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 08 वाहनों से वसूली गई राशि 2137896.00 रु0 है।
   (ख) 3 वाहनों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व से ही निर्गत है। जिसकी राशि 384906.00 रु0 है।
   (ग) 1 वाहन का कर माफी हेतु जो अभिलेख विभाग को भेजा गया था उसे विभागीय आदेश संख्या-2253 दिनांक 11.04.08 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे निष्पादित समझा जाय । जिसकी राशि 3,61,845.00 रु0 है।
   (घ) 16 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया जिसकी राशि 4561017.00 है।

5. जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 08 है जिसमें सन्निहित राशि 3332664.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 02 वाहनों से वसूली गई राशि 377015.00 रु0 है।
   (ख) 06 वाहनों पर माँग पत्र निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2955649.00 रु0 है।

6. जिला परिवहन कार्यालय खगड़िया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 50 है जिसमें सन्निहित राशि 12321519.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 508263.00 रु0 है।
   (ख) 43 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 10727340.00 रु0 है।
   (ग) दंड की राशि जो वसूलनीय नहीं है 1010406.00 रु0 है।
   (घ) 1 वाहन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है की राशि 75510.00 रु0 है।

7. जिला परिवहन कार्यालय भोजपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 43 है जिसमें सन्निहित राशि 15445449.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है
   (क) 8 वाहनों से वसूली गई राशि 2147583.00 रु0 है।
   (ख) 35 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 13297866.00 रु0 है।

8. जिला परिवहन कार्यालय पटना:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 74 है जिसमें सन्निहित राशि 7340895.00 रु0 है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
   (क) 22 वाहनों से वसूली गई राशि 4744880.00 रु0 है।
   (ख) 51 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2596015.00 रु0 है।
   (ग) 01 वाहन (बीआर-01जी/1355) का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.02.2003 को जिला परिवहन पदाधिकारी धनबाद को निर्गत किया गया है।

9. जिला परिवहन कार्यालय लखीसराय:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 13 है जिसमें सन्निहित राशि 3318819.00 रु० है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 03 वाहनों से वसूली गई राशि 1252329.00 रु० है।
(ख) 10 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2066490.00 रु० है।

10. जिला परिवहन कार्यालय मोतिहारी:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 28 है जिसमें सन्निहित राशि 5043012.00 रु० है। सभी वाहनों पर माँग पत्र निर्गत किया गया है।

11. जिला परिवहन कार्यालय सिवान:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 24 है जिसमें सन्निहित राशि 11404470.00 रु० है।
(क) 01 वाहनों से वसूली गई राशि 472890.00 रु० है।
(ख) 6 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2870010.00 रु० है।
ग) 17 वाहनों पर माँग पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 8061570.00 रु० है।

12. जिला परिवहन कार्यालय बक्सर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 24 है जिसमें सन्निहित राशि 20585375.00 रु० है।
(क) 10 वाहनों से वसूली गई राशि 15589916.00 रु० है।
(ख) 14 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 4995459.00 रु० है।

13. जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 22 है जिसमें सन्निहित राशि 4436199.00 रु० है।
(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 158220.00 रु० है।
(ख) 20 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 4277979.00 रु० है।

14. जिला परिवहन कार्यालय नवादा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 47(वास्तविक 45) है जिसमें सन्निहित राशि 8167964.00 रु० है।
(क) 2 वाहनों से वसूली गई राशि 521247.00 रु० है।
(ख) 43 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 7646667.00 रु० है।
(ग) 2 वाहन जिसे अंकेक्षण दल के द्वारा व्यवसायिक वाहन दर्शाया गया है परन्तु निबंधन पंजी में दोनों वाहन मोटर सायकिल है। जिसकी राशि 167688.00 रु० है।

15. जिला परिवहन कार्यालय मुंगेर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 34 है जिसमें सन्निहित राशि 5721485.00 रु० है।
(क) 33 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 5666682.00 रु० है।
(ख) 01 वाहन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। जिसकी राशि 54803.00 रु० है।

16. जिला परिवहन कार्यालय कटिहार:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 06 है जिसमें सन्निहित राशि 1123144.00 रु० है। सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

17. जिला परिवहन कार्यालय छपरा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 15 है जिसमें सन्निहित राशि 5405412.00 रु० है।
(क) 6 वाहनों से वसूली गई राशि 2465697.00 रु० है।
(ख) 9 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2939715.00 रु० है।

18. जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 28 है जिसमें सन्निहित राशि 5409583.00 रु० है।
(क) 4 वाहनों से वसूली गई राशि 7189968.00 रु० है।
(ख) 24 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 4690615.00 रु० है।

19. जिला परिवहन कार्यालय गया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 40 है जिसमें सन्निहित राशि 8877838.00 रु० है। सभी वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

20. जिला परिवहन कार्यालय नालंदा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों की संख्या 30 है जिसमें सन्निहित राशि 8826375.00 रु० है।
(क) 13 वाहनों से वसूली गई राशि 4996092.00 रु० है।
(ख) 15 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि

3542427.00 रु0 है।
(ग) 2 वाहन (बीआर-21/3637 राशि 77121.00 एवं बीआर-21/37 राशि 210735.00) दोनो वाहनों का योग 287856.00 रु0 है। उक्त द वाहनों का अंकेक्षण दल के द्वारा निबंधन संख्या दोबारा अंकित हो ग है।

21. जिला परिवहन कार्यालय वैशाली:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 53 है जिसमें सन्निहित राशि 1403889.00 रु0 है।
(क) 47 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 1232867.00 रु0 है।
(ख) 2 वाहन (बीआर-31ए/7141 राशि 12672.00 एवं बीआर-31ए/96 राशि 28530.00 है) दोनो वाहनों का योग 41202.00 रु0 है।जिसके सं में वाहन स्वामी के द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन चोरी हो गई थ
(ग) 1 वाहन (बीआर-31ए/9538) जिसकी राशि 31275.00 रु0 है कार्यालय निबंधन पंजी के अनुसार मोटर सायकिल के रुप में निबंधित है।
(घ) 3 वाहनों से वसूली गई राशि 43303.00 रु0 है।
(इसमें निहित सभी वाहनों का कर निर्धारित समय पर बैंक में जमा कि गया परन्तु कार्यालय में पे-इन-स्लीप ससमय जमा नहीं किया गया। न निर्धारित समय पर जमा किये जाने के कारण 55242.00 रु0 अर्थ (जुर्माना) की राशि नहीं बनता है।)

22. जिला परिवहन कार्यालय अररिया:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 28 है जिसमें सन्निहित राशि 140000.00 रु0 है।
(क) 17 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 85000.00 रु0 है।
(ख) शेष 11 वाहन जिसकी राशि 55000.00 रु0 है जिसे अंकेक्षण द के द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 दोनों में दर्शाया गया है जिस निराकरण वर्ष 2007-08 की कंडिका 4.08 में किया गया है। जिसमें उ 11 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है।

23. जिला परिवहन कार्यालय शेखपुरा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 29 है जिसमें सन्निहित राशि 570667.00 रु0 है।सभी वाहनों (ट्रेल कर एकमुश्त वसूली गई ।

24. जिला परिवहन कार्यालय बाँका:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 13 है जिसमें सन्निहित राशि 2071728.00 रु0 है।सभी वाहनों नीलाम पत्रवाद दायर किया गया ।

25. जिला परिवहन कार्यालय जहानाबाद:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 35 है जिसमें सन्निहित राशि 4129608.00 रु0 है।
(क) 12 वाहनों से वसूली गई राशि 1403535.00 रु0 है।
(ख) 23 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 2765799.00 रु0 है।

26. जिला परिवहन कार्यालय सहरसा:- कुल आपत्तिग्रस्त वाहनों संख्या 64 है ।जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-
(क) 19 वाहनों से अद्यतन कर की जमा राशि 3981276.00 रु0 है।
(ख) 18 वाहनों पर नीलाम पत्रवाद निर्गत किया गया है। जिसकी राशि 4212798.00 रु0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं प्र महालेखाकार की सहमति से इस आपत्ति को निष्पादित किया गया।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009--10 (रा०प्रा०) पृ०सं० 56 द्रष्टव्य

4.9 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

चार[4] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उनके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रूप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23 जैसाकि विहित है के तहत वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुन: राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमने जनवरी और मार्च 2010 के बीच पाया कि मोटर वाहनों के दस व्यवसायियों ने वर्ष 2004--05 से 2008--09 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 34,413 वाहनों (8,320 दो पहिया और 26,093 तीन/चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो निर्धारित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम किया।

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 49.11 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 73.66 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् तीन[5] जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी और मार्च 2010 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत कर दी जायेगी जबकि बेगुसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

2 अररिया, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सीवान।

3 बेगुसराय, सहरसा और वैशाली।

4 बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया।

5 मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया।

(10)

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय- आपातग्रस्त ग्रस्त वाहनों की संख्या-31 है, जिसमें सन्निहित राशि- 3,92,825.00 रू0 है ।

क. 24 वाहनों से वसूली की गई राशि-3,07,557.00 रू0 है ।
ख. 07 वाहनों पर नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि- 85,268.00 रू0 है ।

2. जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ- इस जिला में 03 प्रतिष्ठानों की स्थिति निम्नवत् है:-

(क) रोहरी मोटर्स, पूर्णियाँ का वसूली गयी सन्निहित राशि 2,50,000.00 रू0 है ।

(ख) ब्रजेश ऑटो मोबाईल, पूर्णियाँ का वसूली गयी सन्निहित राशि 1,96,00.00 रू0 है ।

(ग) अम्बे डिस्ट्रिब्यूटर, पूर्णियाँ का वसूली गयी सन्निहित राशि 1,00,000.00 रू0 है ।

3. जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर- इस जिला में 04 प्रतिष्ठानों की स्थिति निम्नवत् है:-

(क) आनन्द ऑटो एजेन्सी पर नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसकी राशि 20,968.00 रू0 है ।

(ख) प्रशांत मोटरर्स एजेन्सी पर नीलामपत्र वाद दायर किया गया है, जिसकी राशि 34,734.00 रू0 है ।

(ग) प्रिमीयर इंजिनियरिंग एजेन्सी से वसूली की गई राशि 84,120.00 रू0 है ।

(घ) कमशर ऑटो एजेन्सी से वसूली की गई राशि 32,895.00 रू0 है ।

4. जिला परिवहन कार्यालय, पटना- इस जिला में 03 प्रतिष्ठानों की स्थिति निम्नवत् है:-

(क) पाडेय मोटर प्रा0 लि0, पटना का बकाया सन्निहित राशि 4,39,250.00 रू0 है । मांग पत्र निर्गत किया गया है ।

(ख) कार्लो ऑटो मोबाईल, पटना का बकाया सन्निहित राशि 7,068.00.00 रू0 है । मांग पत्र निर्गत किया गया है ।

(ग) टाटा मोटर प्रा0 लि0, पटना का बकाया सन्निहित राशि 1,03,42,700.00 रू0 है । मांग पत्र निर्गत के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर किया गया, जिसका संदर्भ संख्या- 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468 एवं 10469 दिनांक 31.03.2009 एवं संदर्भ संख्या- 2802019

एवं 2802020 दिनांक 16.02.2010 के द्वारा 7,50,000.00 रू0 जमा किया गया ।

संदर्भ संख्या- 2970349 दिनांक 12.05.2010 के द्वारा 40,00,000.00 जमा किया गया । तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वसूली की कार्रवाई की जायगी ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 नवम्बर, 2013 की बैठक में समिति द्वारा "जो एजेंसी है, उसकी जाँच प्रतिवेदन विभाग से दिया जाय कि उसकी उद्यतन स्थिति क्या है और जो माँग पत्र निर्गत किया गया है, अगर उसपर राशि बाकी है, तो वसूलनीय राशि के लिये सर्टिफिकेट केस करें" इस निदेश के साथ इस आपत्ति को निष्पादित किया गया।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (रा०प्रा०) पृ०सं० 79–80 द्रष्टव्य।

3.5 अभ्यर्पण में सन्निहित मोटर वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना

पाँच[24] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 17(1) एवं 19 तथा इसके अधीन बने नियमों के तहत् जब कोई मोटर वाहन मालिक, एक माह से अधिक लेकिन एक बार में अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करने का इरादा रखता हो, तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किए जाने वाली अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर के भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते की छूट का दावा प्रलेखों को अभ्यर्पण कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को ऐसे मामलों में महीने में कम–से–कम एक बार वाहन के पार्किंग–स्थल का औचक भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण ज्ञापन को दर्ज करना है। यदि वचन–पत्र में उल्लेखित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन–पत्र में उल्लेखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त सम्पूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किए, उपयोग मे लाया गया माना जाएगा। तदनुसार ऐसे मामलों में अर्थदण्ड सहित कर आरोप्य है।

हमने जून 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कराधान पंजियों तथा अभ्यर्पण पंजियों के नमूना जाँच के दौरान पाया कि 12 वाहनों के अभ्यर्पण की अनियमित स्वीकृति दी गई। जिसके परिणामस्वरुप अर्थदण्ड ₹ 23.83 लाख सहित ₹ 35.74 लाख के कर की वसूली नहीं की गयी जिसका उल्लेख नीचे सारणी में दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रम सं०	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	वाहनों की सं०	अवधि जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया था	अनियमितताएँ	कर–प्रभाव		
					कर	अर्थदण्ड	कुल
1	गया एवं मोतिहारी	03	अक्तूबर 2002 से नवम्बर 2010 के बीच	अद्यतन कर के भुगतान के बगैर अनियमित रूप से अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था।	6.56	13.10	19.65
2	गया, औरंगाबाद एवं पूर्णियाँ	05	फरवरी 2008 से नवम्बर 2010 के बीच	अधिनियम के अनुसार समुचित अभिलेखों के बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था।	2.68	5.37	8.05
3	मुजफ्फरपुर	04	अगस्त 2006 से सितम्बर 2010 तक	बगैर नये वचन–पत्र के छः माह से अधिक तक अभ्यर्पित वाहनों से संबंधित कर की वसूली हेतु विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया था।	2.68	5.36	8.04
	कुल				11.91	23.83	35.74

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ ने फरवरी एवं मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि शेष संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून 2010 एवं मार्च 2011 के बीच कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालयए गया :— इस कंडिका में कुल 2 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसकी सन्निहित राशि—3,57,000 है । (क) 2 वाहनों पर निलाम पत्र दायर कि । गया है, जिसकी राशि 3,57,000 है ।

2 जिला परिवहन कार्यालयए मोतिहारी :— इस कंडिका में कुल 4 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसकी सन्निहित राशि—23,06,634 है । (क) 4 वाहनों पर निलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि 23,06,634 है ।

3. जिला परिवहन कार्यालयए लखीसराय :— इस कंडिका में कुल 1 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसकी सन्निहित राशि—19,112 रू0 है । (क) 1 वाहनों पर निलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि—19,112 रू0 है ।

4. जिला परिवहन कार्यालयए मुजफ्फरपुर :— इस कंडिका में कुल 4 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसकी सन्निहित राशि—8,03,123 है । (क) 4 वाहनों पर निलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि 8,03,123 है ।

5. जिला परिवहन कार्यालयए पूर्णियाँ:— इस कंडिका मे कुल 4 आपत्तिग्रस्त वाहन है, जिसकी सन्निहित राशि—52,222 रू0 है । (क) 4 वाहनों पर निलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि 52,222 रू0 है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की बैठक में इस निदेश के साथ कि "प्रधान सचिव अपने स्तर से निदेश दें कि नियम का पालन ससमय हो।" इस आपत्ति को समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

सी०ए जी० अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (रा०प्रा०) पृ०सं० 80–81 द्रष्टव्य।

3.6 परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

पाँच[25] जिला परिवहन कार्यालय

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 के तहत् लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी ऐसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए ड्राईभिंग लाइसेंस वैसे आवेदक को प्रदान करेंगें जिसके पास उस श्रेणी का लर्नर्स लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए सक्षमता जाँच उर्तीण की हो। पुनः, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 10 के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार **किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास कम से कम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन** को चलाने का लाइसेंस न हो।

हमने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस पंजियों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान 10,530 परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे, जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस भूल से न केवल अधिनियम और **नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे।** इसके फलस्वरुप ड्राईभिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु फीस के रूप में ₹ 22.11 लाख के सरकारी

[25] बांका, छपरा गया, कटिहार एवं नवादा।

राजस्व की हानि हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2010 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा और इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीकरण के समय कर ली जायेगी, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

चिव
ति

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, बांका:– वर्ष 2009–10 में कार्यालय द्वारा निर्गत 487 चालक अनुज्ञप्ति (व्यवसायिक) में से 351 चालक अनुज्ञप्ति से रु0–73710 रू0 वसुली कर ली गई है। शेष राशि की वसुली भी चालक अनुज्ञप्ति नवीकरण के समय कर ली जाएगी।

2. जिला परिवहन कार्यालय, छपरा:– कुल 2454 व्यावसायिक लाइसेंस पर आपत्ति दर्ज की गयी है। सभी चालक अनुज्ञप्तिधारी को बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके फलस्वरूप कुल 39 चालक अनुज्ञप्तिधारी से बकाया राशि वसूल कर ली गयी, शेष की वसूली नवीकरण करने के पूर्व कर लिया जायेगा।

3 जिला परिवहन कार्यालय, गया:— वर्ष 2008—09 एवं 2009—10 के दौरान इस कार्यालय द्वारा क्रमशः 2162 एवं 2151 परिवहन वाहन ड्राइविंग लाईसेंस निर्गत किये गये। अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण हेतु वर्ष 1989 के माह जुलाई से निर्गत किये जाने वाले लनिंग लाईसेंस पर अनुमान्य शुल्क 70 रू0 तथा स्थायी परिवहन ड्राईविंग लाईसेंस निमित अनुमान्य शुल्क 140 यानि कुल 210 रू0 की वसूली की जा रही है। कुल 3287 लाईसेंस नवीकरण मामलों में 690270 रू0 शुल्क के रूप में वसूली की गई है। उक्त कार्रवाई संदर्भित वर्षो निर्गत अनुज्ञप्ति के लिए भी की जा रही है।

4 जिला परिवहन कार्यालय, नवादा:— चालक अनुज्ञप्ति निर्गत के संबध में नवीकरण के समय शेष राशि की वसूली प्रारम्भ कर दी गइ है एवं विलम्ब शुल्क भी ली जा रही है।

5 जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार:— वर्ष 2008—09 एवं 2009—10 में निर्गत परिवहन वाहन ड्राईविंग लाईसेंस का नवीकरण तीन वर्ष के बाद अर्थात् 2011—10 एवं 2012—13 में की जा चुकी है। नवीकरण के साथ ही सभी अनुज्ञप्ति धारी से लरनिंग लाईसेंस का 70.00 रूपये में चालक अनुज्ञप्ति का 140.00 कुल 210.00 रूपये अतिरिक्त वसूली की जा चुकी है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की बैठक में समिति द्वारा "अगर राशि वसूलनीय हो तो वसूली की कार्रवाई की जाय तथा उक्त अवधि में गया के जिला परिवहन पदाधिकारी थे उनको चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए समिति को रिपोर्ट दिया जाये। इस निदेश के साथ इस आपत्ति को निष्पादित किया गया।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (रा०प्रा०) पृ०सं० 81 द्रष्टव्य।

3.7 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर का नहीं / कम वसूली

चौदह[26] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 तथा उसके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी / निर्माता के रुप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23, जैसाकि विहित है, के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच मोटर वाहन के निर्माताओं / व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न और निबंधन पँजियों के नमूना जाँच में पाया कि मोटर वाहनों के 73 व्यवसायियों ने जनवरी 2004 से जून 2010 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 33,507 वाहनों (30,320 दो पहिया और 3,187 तीन / चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो विहित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम जमा किया। यद्यपि जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापार कर की वसूली के लिए मोटर वाहन के निर्माताओं / व्यवसायियों के भंडार पँजियों की जाँच करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता लगे कि उन अभिलेखों की जाँच की गयी थी। इसके फलस्वरुप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 19.23 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं / कम हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, आरा ने फरवरी 2011 में कहा कि व्यापार कर की वसूली के लिए माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा और नियमानुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। हमलोग उन मामलों, जिसमें माँग पत्र निर्गत किया गया था, में वसूली पर प्रतिक्षित तथा शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[26] आरा, बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, गया, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुपुरा, मधुबनी, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर और सासाराम।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, आराः— जय बजरंग बजाज ट्रेड टैक्स की राशि 16,446 रू० वसूलनीय जिस पर नीलाम पत्र दायर किया गया।

2. जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसरायः— इस जिलें में 7 ट्रेड टैक्स से संबंधि तमामले है:—
1 देव इन्टर प्राईजेज, बेगुसराय—अनु०सं०—157 (बी०) ट्रेलर ने 14250 / —रू० की वसूली की गई।
2 किसान एग्रो इन्जीनियरिंग वर्क्स से 3750 / — रू० वसूली की गई।

3 साहेब इन्जीनियरिंग वर्क्स 13500/—रू0 वसूली की गई है। 4 किसान इन्जीनियरिंग वर्क्स 6750/— रू0 वसूली की गई है।
5 बाबा इन्टर प्राइजेज, 27000/— रू0 हेतु नीलाम पत्र दायर किया गया।
6 चुनचुन इन्जीनियरिंग वर्क्स 2250/—रू0 हेतु नीलाम पत्र दायर किया गया।
7 सत्येम ऑटोमूबाईल 37875/— रू0 हेतु नीलाम पत्र दायर किया गया।

3. <u>जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर</u>:— जनवरी 2004 से जून 2010 तक 2 (दो) डीलर से 99,640/— रू0 वसूली की गई। 9 9

4. <u>जिला परिवहन कार्यालय, छपरा</u>:— तीन वाहन विक्रेताओं पर आपत्ति दर्ज गयी है, जिसके विरूद्ध मांग पत्र दायर किया गया है। जिसके फलस्वरूप दो वाहन विक्रेताओं द्वारा आपत्ति राशि जमा कर दिया गया। शेष एक वाहन विक्रेता द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया, जिसकी वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5. <u>जिला परिवहन कार्यालय, गया</u>:— इस जिलें मे कुल 5 (पाच) वाहन विक्रेता है, जिसके विरूद्ध 69,202/— रू0 वसूली हेतु नीलाभ पत्र दायर किया गया है।

6. <u>जिला परिवहन कार्यालय, खगड़िया</u>:— इस जिलें में कुल 34 (चौतीस) बकाया ट्रेड हैं, जिसके विरूद्ध मांग पत्र निर्गत किया गया।

7. <u>जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय</u>:— इस जिलें में कुल 2 (दो) ट्रेड है, जिसके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया।

8 <u>जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी</u>:— 66 (छियासठ) ट्रैदधारी के विरूद्ध ट्रेड टैक्स एवं 200 प्रतिशत अर्थदण्ड मो0 8112600—00 रू0 वाहन डीलर एवं वाहन निर्माता पर आरोपित किया गया है। अगर उपरोक्त राशि में सिर्फ ट्रेड टैक्स को माना जाता है तो ट्रेड टैक्स 2704200 रू0 आता है ज्ञातव्य है कि मधुबनी जिला में मात्र मोटर साईकिल एवं ट्रेक्टर के प्राधिकृत डीलर है, लगभग 10 प्रतिशत के आसपास के वाहन स्वामी द्वारा निकटवर्ती जिला या अन्य जिला से वाहन क्रय उक्त प्राधिकारी से अस्थायी निबधन संख्या प्राप्त कर मधुबनी जिला में अपने वाहनों का स्थायी निबधन कराते है।

9. <u>जिला परिवहन कार्यालय, पटना</u>:— 4 (चार)डीलरों द्वारा बकाया राशि—59,000/—रू0 वसूली की गई।

10. <u>जिला परिवहन कार्यालय, सासाराम</u>:— इस जिलें में कुल 37 (सैत्तीस) ट्रेडर्स है, जिसके विरूद्ध 28,560/— रू0 के आलोक में नीलाम पत्र दायर किया गया।

11. जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार:— मे0 कटिहार टक्टर के द्वारा

मो0 327225.00 रूपय चालान द्वारा दिनाक 10.10.2012 को मे0 उत्कर्ष मोटर्स के द्वारा मो0 7461 रूपये चालान द्वारा दिनांक 19.04.2012 को एवं मे0 अशीश मोटर्स, कटिहार के द्वारा मो0 48600.00 रूपये चालान द्वारा जगा कर दिया गया है।

12. **जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुरा** :— इस जिले में कुल 2 ट्रेडर्स है जिसकी सन्निहित राशि— 34,812.00 रू0 के आलोक में नीलाम पत्र दायर किया गया।

13. **जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर** :— इस जिले में कुल 7 ट्रेडर्स है जिसकी सन्निहित राशि— 72,281.00 रू0 के आलोक में नीलाम पत्र दायर किया गया।

14. **जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ** :— इस जिले में कुल 4 ट्रेडर्स है जिसकी सन्निहित राशि— 22,229.00 रू0 है।
क. 1 ट्रेडर्स से 7,3,68.00 रू0 वसूली की गई।
ख. 3 ट्रेडर्स पर नीलाम पत्र दायर किया गया जिसकी सन्निहित राशि 14,817.00 रू0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 नवम्बर, 2013 की बैठक में समिति द्वारा "जो भी राशि वसूलनीय है, जिनका माँग पत्र निर्गत हो गया है, उसपर सार्टिफिकेट केस कर दिया जाय तथा उनसे राशि वसूल कर समिति को सूचित किया जाय" के निदेश के साथ इस आपत्ति को निष्पादित किया गया।

सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (रा०प्रा०) पृ०सं० 82 द्रष्टव्य।

3.8 अतिरिक्त कर और हरित कर का नहीं/कम वसूली

पाँच[27] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 एवं 7 के तहत् प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन के मालिक को अनुसूची में निर्धारित दर से कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन पर कर का भुगतान करना है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत जैसाकि प्रावधित है, करारोपण पदाधिकारी स्वंय को संतुष्ट करते हुए कि भुगतान की गयी कर की राशि, भुगतेय कर की राशि के बराबर है, कर की भुगतान को स्वीकार करेगा और रसीद के साथ टैक्स टोकन निर्गत करेगा।

पुनः, संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5(6) (जैसाकि 9 अप्रैल 2010 से लागू बिहार वित अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित है) तीन पहिया, **ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर 12 वर्ष से अधिक पुराने प्रत्येक निबंधित परिवहन मोटर वाहन मालिक द्वारा अतिरिक्त कर के साथ भुगतेय कर के 10 प्रतिशत के** दर पर हरित कर भुगतेय होगा। इसके अलावे, अतिरिक्त मोटर वाहन कर पर छूट की अनुमति के प्रावधान को भी कथित संशोधन द्वारा वापस ले लिया गया है। नियत तिथि के अन्दर कर के भुगतान नहीं किये जाने पर बकाये कर का 25 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड प्रभावित होता है जैसाकि उपर्युक्त बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23 के तहत् प्रावधित किया गया है।

हमने अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कराधान पंजियों एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की नमूना जाँच के दौरान पाया कि 193 परिवहन वाहन मालिकों ने मई एवं सितम्बर 2010 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 84,000 के हरित कर का भुगतान नहीं किया था जबकि वाहन 12 वर्ष पुरानी थी। पुनः, संशोधित **अधिनियम के विपरीत ₹ 1.36 लाख का** अतिरिक्त कर का भी छूट दिया गया था। इन सभी मामलों में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बकाये हरित कर की वसूली सुनिश्चित किये बिना अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किया तथा अतिरिक्त कर पर छूट भी दिया। इसके फलस्वरुप ₹ 4.41 लाख के आरोपित अर्थदण्ड सहित ₹ 6.62 लाख के हरित कर एवं अतिरिक्त कर नहीं/कम वसूल किये गये।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[27] छपरा, कटिहार, मधेपुरा, सासाराम (कराधान पंजी) एवं पटना (कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जिला परिवहन कार्यालय, छपराः— 24 वाहनों पर आपत्ति दर्ज की गयी, जिसका अनुपालन कर दिया गया है। उपरोक्त सभी वाहनों का आगे का कर प्रतीक निर्गत करने के पूर्व ग्रीन टैक्स से संबंधित राशि लेने के उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

2. जिला परिवहन कार्यालय, सासारामः—कुल आपत्ति वाहनों की संख्या 19 है, जिसमें सन्निहित रू0 50,436/— के विरूद्ध मात्र 04 (चार) वाहनों से कुल रूपय 11,094/—वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

3. जिला परिवहन कार्यालय, पटनाः— इस संबंध में कहना है कि निरीक्षक के समय एन0 आई0 सी0 द्वारा कम्प्यूटर में इंदराज नहीं किया गया था। इंदराज के उपरांत हरित कर एवं अतिरिक्त कर की वसूली कर ली गई है।

4 जिला परिवहन कार्यालय, कटिहारः— 12 (बारह) वाहनों पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसकी सन्निहित राशि 4251 रू0 है।
(क) 1 वाहनों पर नीलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि 335/— रू0 है ।
(ख) 11 वाहनों से वसूली की गई राशि 3,916,/— रू0 है ।

5 जिला परिवहन कार्यालय, मधेपुराः— 4 वाहनों पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसकी सन्निहित राशि — 26,372 रू0 है।
(क) 4 वाहनों पर नीलाम पत्र दायर किया गया है, जिसकी राशि 26,372 रू0 है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की बैठक में समिति द्वारा इस आपत्ति को विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया गया।

दिनांक—30 जनवरी, 2014
स्थान—पटना

(ललित कुमार यादव)
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान—सभा
पटना।

(91)

संख्या/No. पो०ले०स०-92(खण्ड-V)/2013-14/158

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg Patna-800 001

दिनांक/Date : 18.02.2014

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 एवं 542 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र सं.-1. 2लो.ले.स.-10/14-350/वि.स.,
2. 2लो.ले.स.-11/14-347/वि.स.,
3. 2लो.ले.स.-09/14-346/वि.स.,
4. 2लो.ले.स.-13/14-349/वि.स.,
5. 2लो.ले.स.-12/14-345/वि.स.,
6. 2लो.ले.स.-14/14-348/वि.स., दिनांक 11.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न वर्षो के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो (सिविल/सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र, राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व प्रक्षेत्र, राज्य का वित्त) में वर्णित कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का दस प्रारूप प्रतिवेदन (सं. 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 एवं 542) इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। इन प्रारूप प्रतिवेदनो में वर्णित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की कंडिकाओं में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण किया गया। तत्पश्चात् प्रारूप प्रतिवेदनो को मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः- प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

18.02.14.

लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना